संख्या-883/2018/1306/22-2-2018-17(289)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 27 नवम्बर,2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25515/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-09-07-2018) दिनांक-17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी जो नि0- मो0 करीमुल्ला पटटी, थाना-जानसठ, जनपद- मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 27.11.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अभिषेक **(**मृतक) के पिता से दस लाख रूपये फिरौती वसूलने की नियत से अपहरण कर गला कैची से रेतकर हत्या कर दी तथा शव को 02 टुकडों में सूटकेस में भर कर गन्ने के खेत में गाड़ कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, 364 एवं 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1, मुजफफरनगर के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दु की आख्या में बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 27.11.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अभिषेक (मृतक) के पिता से दस लाख रूपये फिरौती वसूलने की नियत से अपहरण कर गला कैची से रेतकर हत्या कर दी तथा शव को 02 टुकडों में सूटकेस में भर कर गन्ने के खेत में गाड़ कर अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजेश सैनी (बन्दी संख्या-16842) पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी, निवासी निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-883/2018/1306(1)/22-2-2018 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-883/2018/1306/22-2-2018-17(289)/2018

दिनांक 27 नवम्बर, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजेश सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी जो नि0-मो0 करीमुल्ला पटटी, थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फर नगर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 27.11.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अभिषेक **(मृतक) के पिता से दस लाख रूपये फिरौती वसूलने की नियत से अपहरण कर गला कैची से रेतकर हत्या कर दी तथा शव को 02 टुकडों में सूटकेस में भर कर गन्ने के खेत में गाड़** कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-184/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, 364 एवं 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1, मुजफफरनगर के आदेश दिनांक 01.02.2007 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा अपील निस्तारित करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त है। जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 05 बिन्दु की आख्या में बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 27.11.2003 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अभिषेक (मृतक) के पिता से दस लाख रूपये फिरौती वसूलने की नियत से अपहरण कर गला कैची से रेतकर हत्या कर दी तथा शव को 02 टुकडों में सूटकेस में भर कर गन्ने के खेत में गाड़ कर अपराध कारित किया गया। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजेश सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in